Helpline 1064

94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **नगर पालिका देशनोक के तत्कालीन अध्यक्ष के विरुद्ध 'पद के दुरुपयोग' कर स्वयं के नाम पट्टे जारी करने के मामले में एसीबी ने प्रकरण दर्ज किया।**

जयपुर, दिनांक 02 सितम्बर, 2026। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा नगर पालिका देशनोक, जिला बीकानेर के तत्कालीन अध्यक्ष **ओमप्रकाश मून्धड़ा** एवं अन्य के विरुद्ध पद का दुरुपयोग कर स्वयं को अनुचित लाभ पहुंचाने के आरोप में प्रकरण दर्ज किया गया है।

एसीबी में प्राप्त परिवाद के अनुसार ओमप्रकाश मून्धड़ा, तत्कालीन अध्यक्ष, नगर पालिका देशनोक द्वारा राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, 2009 की धारा 69क के अंतर्गत कथित रूप से अपने पद का दुरुपयोग करते हुए अपने स्वयं के हस्ताक्षरों से अपने ही नाम पर पट्टे जारी किए गए।

परिवाद में वर्णित तथ्यों के अनुसार दिनांक 31.12.2021 को उनके नाम से 71.88 वर्गमीटर, 267.14 वर्गमीटर एवं 42.53 वर्गमीटर क्षेत्रफल के तीन पट्टे जारी किए गए, जिनका पंजीयन दिनांक 11.01.2022 को कराया गया।

प्राप्त शिकायत पर एसीबी में जांच की गई तथा सक्षम प्राधिकारी से भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17ए के अंतर्गत पूर्वानुमोदन प्राप्त किया गया। जांच में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर ओमप्रकाश मून्धड़ा, तत्कालीन अध्यक्ष, नगर पालिका देशनोक, जिला बीकानेर एवं अन्य के विरुद्ध प्रथम दृष्टया अपराध पाया जाने पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13(1)(क), 13(2) एवं भारतीय न्याय संहिता, 2023 की संबंधित धाराओं के अंतर्गत प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान प्रारम्भ किया गया है।

प्रकरण का अनुसंधान भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा किया जा रहा है।